DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

NAME OF NEWSPAPERS----- THURSDAY AUGUST 11, 2022 ----------DATED

Yamuna floodplain Bamboo Park may flout NGT rules, says activist

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The convener of the Yamuna Jiye Abhiyaan (YJA) on Wednesday wrote to the Union jal shakti ministry and the principal committee of the National Green Tribunal (NGT), flagging the latest Delhi Development Authority (DDA) project titled 'Baansera'—a 10-hectare bamboo park inaugurated by lieutenant governor VK Saxena on Tuesday—as a possible violation of past NGT judgements.

YJA convener Manoj Misra said the site of the new theme park is not too far from the site of an event the Art of Living (AOL) held in 2016, which led the NGT to fine the body for damaging the floodplains.

YAMUNA JIYE ABHIYAAN CONVENER MANOJ MISRA WROTE TO THE JAL SHAKTI MINISTRY AND NGT AGAINST THE PARK

"...the project spread over initially some 10 hectares of the active Yamuna floodplains on its western bank fills one with grave forebodings of fanciful experimentation without taking into account the natural ecology and a reiteration of previous acts (abhorred by the NGT) on the part of DDA to permit river-incompatible activities, most notably the AOL celebrations," Mishra wrote.

His letter was addressed to Pankaj Kumar, secretary at the Union jal shakti ministry as well as the chairperson of NGT's principal committee (PC) on the Yamuna.

"Since the AOL misadventure in the floodplains, which is not very far from the proposed 'Baansera' site, was challenged the NGT based on its ecological inappropriateness, the NGT censured the DDA on its jurisdictional overreach. So, can now the DDA permit another activity, not very different in its adverse impacts to take place?"

DDA did not respond to HT's queries regarding the letter.

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 11 अगस्त 2022

द्वारका : हर सोसायटी में सिक्योरिटी ऑडिट

बेहतरीन इंतजाम वाली सोसायटी को मिलेगा अवॉर्ड

■ विशेष संवाददाता, द्वारका

द्वारका में बेहतर सुरक्षा के लिए अब पुलिस सभी सोसायटियों, डीडीए पॉकेट का सिक्युरिटी ऑडिट करवाएगी। इस ऑडिट के आधार पर सबसे सुरक्षित सोसायटियों को चुनकर सम्मानित किया जाएगा। पुलिस के अनुसार सोसायटियों की सुरक्षा को पुलिस बेहतर बनाने के मकसद से यह अभियान चला रही है।

अधिकारियों के अनुसार इसका मकसद सोसायटियों को सुरक्षा के लिहाज से भी अपडेट करना है। अधिकारियों के अनुसार सोसायटियों ने सुरक्षा के लिए बूम बैरियर, सीसीटीवी कैमरे और कई तरह की टेक्नॉलजी का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन यह इस्तेमाल किस तरह से करना है कि अधिक से अधिक सुरक्षा हो सके, यह बताना इसका मकसद है।

12 अगस्त तक जमा करें फॉर्म

इसके लिए पहले सभी सोसायटियों को अपना सेल्फ सिक्योरिटी ऑडिट करना होगा। इसके लिए सोसायटियों को एक तय फॉर्म में सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देनी होगी। यह जानकारी 12 अगस्त तक सभी सोसायटियों को जमा करवानी है। यह फॉर्म सोसायटियां अपने संबंधित पुलिस थाने, बीट स्टाफ सेक्टर-23 थाने के प्रभारी को उनके वॉट्सऐप नंबर पर भी दे सकती हैं। इसके अलावा societyauditdwarka2022@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। द्वारका में 250 से अधिक सोसायटियां और 20 के करीब डीडीए पॉकेट्स हैं।

कमिटी करेगी सोसायटियों का सेल्फ ऑडिट : इसके बाद पुलिस की गठित कमिटी सभी सोसायटियों में जाकर ऑडिट करेगी। इस कमिटी में स्थानीय थाने के अधिकारी, संबंधित बीट स्टाफ, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड डिफेंस अधिकारी, सिविल सोसायटी आर्गेनाइजेशन के सदस्य आदि शामिल होंगे। यह कमिटी सोसायटियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्कोर देगी। इन स्कोरों के आधार पर सबसे बेहतरीन सोसायटी को एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

पूछे जाएंगे ये सवाल

- सोसायटी में कितने कैमरे लगें हैं
- कितने फ्लैट्स हैं
- बूम बैरियर लगे हैं या नहीं
- बायोमीट्रिक सिस्टम है या नहीं
- सेफ्टी के लिए कोई ऐप सिस्टम है या नहीं
- इमरजेंसी अलार्म है या नहीं
- एक साल में मॉकड्रिल हुई है
- सपोर्टिंग स्टाफ को आईकार्ड जारी किए गए हैं या नहीं
- किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं
- सोसायटी में पुलिस वेरिफिकेशन कैंप लगे हैं या नहीं
- सोसायटी के कितने फ्लैट्स में एंटी बर्गलरी अलार्म सिस्टम लगा है
- कितने फ्लैट में मैजिक आई या आयरन गेट लगे हैं
- सोसायटी में फायर सेफ्टी सिस्टम है या नहीं
- कितने गार्ड तैनात रहते हैं
- बाउंड्री वॉल की उंचाई कितनी है

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

11 अगस्त • 2022 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

पुनर्वास के लिए 1 जनवरी, 2006 से पूर्व बनीं झुग्गियों के मालिक ही पात्र

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1 जनवरी, 2006 से पहले बनीं झुग्गी के मालिक ही पुनर्वास के पात्र हैं। इसके लिए पात्रता दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की वर्ष 2015 की अधिसूचना के आधार पर निर्धारित होगी। पुनर्वास नीति की यह शर्त है कि अधिसूचना के तहत झुग्गी-झोपड़ी बस्ती मान्य हो।

न्यायमूर्ति सचिन दत्त ने उक्त टिप्पणी करते हुए हजरत निजामुद्दीन के ग्यासपुर में झुग्गी को तोड़ने पर लगी रोक को हटा लिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने रोक हटाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति ने डीडीए से कहा कि वह झुग्गीवालों को पुर्नवास के लिए सभी सहायता मुहैया कराए। सरकार ने कोर्ट से कहा था कि वह उन्हें डीयूएसआईबी के आश्रय गृह में स्थान देने को तैयार है, हालांकि वह झुग्गी के स्थान से काफी दूर है। न्यायमूर्ति ने कहा कि वर्ष 2015 की नीति स्पष्ट करती है कि केवल 1 जनवरी, 2006 से पहले आई झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां ही उक्त नीति के तहत पुनर्वास/पुनर्स्थापन की पात्र हैं। उन्होंने डीडीए को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति देते हुए कहा कि झुग्गियों के निवासियों को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है। सरकार को उनके लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। झुग्गी का स्थानांतरण इस तथ्य के मद्देनजर भी आवश्यक है क्योंकि वे यमुना बाढ़ में स्थित है। यह मानसून में जीवन के लिए भी खतरा है।

झुग्गी तोड़ने पर रोक पिछले महीने अवकाशकालीन पीठ ने लगाई थी। झुग्गीवालों ने कहा था कि वे लोग वहां वर्ष 1995 से ही रह रहे हैं। वहां उनकी 32 झुग्गियां हैं। इसलिए जबतक उनलोगों का पुनर्वास नहीं किया जाता तब तक उन लोगों को वहां से नहीं हटाया जाए।

पात्रता डीयूएसआईबी की वर्ष 2015 की अधिसूचना के आधार पर निर्धारित होगी

हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन के ग्यासपुर में झुग्गी को तोड़ने पर लगी रोक को हटाया

डीडीए ने रोक हटाने की मांग की थी

डीडीए झुग्गीवालों को पुनर्वास के लिए सभी सहायता मुहैया कराए : हाईकोर्ट